

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENT. & LUXURY TAX,
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F.1/Ex/PQ/2021-22/2601

Dated: 30.12.2021

To,
The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: Reply with respect to Un-starred Question No.174 raised by Sh. Mohan Singh Bisht.

Sir,

Please refer to your letter No.F11(B-1) VI/2020-25/VSS/PB/280 dated 25.12.2021 on the subject cited above. I am to enclose herewith reply of the above mentioned question.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl: As above.


ASSISTANT COMMISSIONER (PQ)

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम : आबकारी, मनोरंजन, विलासिता विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विभाग का पता : एल एंड एन ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-11000

अतारंकित प्रश्नों की संख्या :- 174


दिनांक : 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली के अंदर आज दिन तक कुल कितनी शराब की नई दुकानें खोली गई हैं;	नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिनांक 27 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में खोली गई शराब की दुकानों की संख्या 501 है।
(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में नई शराब की दुकान खोलने से पहले नियम संबंधी औपचारिकताओं की अनदेखी की जा रही है;	नहीं, यह सत्य नहीं है। दिल्ली में नई शराब की दुकान खोलने से पहले सभी नियम संबंधी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है।
(ग) यदि नहीं, तो 15 20 फीट के रोड पर शराब की दुकान खोले जाने के क्या कारण हैं;	सभी दुकानें आबकारी नीति 2021-22 के नियमानुसार खोली जा रही हैं।
(घ) शराब की दुकानों का कमर्शियल होना अनिवार्य न किए जाने तथा इन जमीन के मालिकों से कमर्शियल तथा पार्किंग शुल्क न लिए जाने के क्या कारण हैं; और	उपरोक्तानुसार
(ङ) जो शराब की दुकानें नियम और कायदे के अनुरार नहीं खोली जा रही हैं इनको बंद करने के लिए सरकार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?	यदि विभाग के समक्ष किसी नियम का उल्लंघन संज्ञान में आता है तो उस दुकान एवं संबंधित लाइसेंसधारी पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जा रही है/जाएगी।

हस्ताक्षर

()
आयुक्त (आबकारी)

ARAVA GOPI KRISHNA
IAS
Commissioner Excise
Entt. & Luxury Tax
Govt. of NCT of Delhi
Vikas Bhawan, New Delhi-2